FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

दौलतराम .... बनाम .... स्वामी जार्ज

करम मुकदमा .... नं. 99/13. सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/8/19-	पत्रावली पेश हुई, हमराय पत्रावली में वकील वादी द्वारा प्रा०पत्र 023 R1 CPC पेश किया गया प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा०पत्र 023 R1 CPC में दि० 12/9/19 को पेश हो।	
12/9/19-	पत्रावली पेश हुई, हमराय पत्रावली में वकील प्रतिवादी प्रस्तुत प्रा०पत्र 023 R1 CPC का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे-बहस करना चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र 023 R1 CPC में दि० 19/9/19 को पेश हो। पुनश्च:- इतना लिखने पर पत्रावली में प्रस्तुत प्रा०पत्र 023 R1 CPC पर हमराय की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 023 R1 CPC हेतु दि० 19/9/19 को पेश हो।	
19/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 23 नियम 1 को स्वीकार किया जाता है वादी का वाद जरिए विड्रो खारीज किया जाता है वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद में प्रतिवादी को न्यायालय में आने व न्यायालय का समय खराब करने के लिए वादी प्रतिवादी को 1000 रूपये शुल्क अदा करे।	

PTO

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए
	साथ ही वादी अधिवक्ता को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि पूर्ण वाद न्यायालय मे रजिस्टर्ड ना कराये। वादी की प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर प्रतिवादी को 1000 की शुल्क वादी अदा करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़) /8/18	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वाद संख्या : 99/2013

दोलतराम उर्फ दोला गोदपुत्र खेरिंग (प्राकृतिक पिता लक्ष्मण) धाकड निवासी बामनहेडा

बनाम

नानीबाई पति काशीराम धाकड निवासी बामनहेडा तहसील बेगूँ व अन्य

अन्तर्गत धारा 88,53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
आई.एम.अजमेरी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 6

आदेश दिनांक 19.09.2019

आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीविल प्रकिया संहिता

वाद का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बामनहेडा तहसील बेगूँ में वादी एवं प्रतिवादीगण के पितामह स्वर्गीय नाथू उर्फ नाथा जी थे, जिनके तीन पुत्र कमशः लक्ष्मण, खेरिंग, भागीरथ हुए तथा लक्षमण के तीन पुत्र जो कमशः दोलतराम काशीराम नन्दा (तीनो मृत) हुये है खेरिंग लाऔलाद मृत हुआ, लक्षमण का एक पुत्र दौलतराम उर्फ दोला इनका गोद पुत्र है जो वादी है। भागीरथ के एक पुत्री मागीबाई जो प्रतिवादी संख्या 10 है एवं लक्ष्मण का एक पुत्र नन्दा भागीरथ के गोद आया है इस प्रकार भागीरथ के दो मांगीबाई व नन्दा उत्तराधिकारी हुए। काशीराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके पुत्र व पुत्रीया कमशः सुगनाबाई, कन्याबाई, कैलाश चन्द्र, शोभालाल, शिवलाल, पप्पु कुमार व उनकी पत्नी नानीबाई है तथा काशीराम का एक पुत्र शोभालाल की मृत्यु हो चुकी है। जिनके उत्तराधिकारी भल्लीबाई पत्नी शोभालाल, अंजली संजना पिता शोभालाल है। भागीरथ का गोदपुत्र नन्दा भी फोत हो चुका है जिनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 11 भागुतीबाई है तथा इनमें से भी नानालाल की मृत्यु हो चुकी है। जिनके उत्तराधिकारी मांगीबाई लाभचन्द अमीलाकुमारी है। बन्दोबस्त पुर्व ग्राम बामनहेडा तहसील बेगूँ में आराजी संख्या 105, 371, 418, 372, 554, 555 कुल किता 7 कुल रकबा 22 बिघा 10 बिस्वा बने है। उक्त आराजी संवत् 2038 से 2041 की जमाबंदी खाता संख्या 31/64 में नन्दा काशीराम दोला पिता लक्ष्मण नन्दा पिता भागीरथ धाकड साकिन देह खातेदार अर्थात खाते नन्दा का नाम लक्षमण के उत्तराधिकारियों में भी दर्ज हो गया व भागीरथ के गोदपुत्र के रूप में भी दर्ज हो गया हैं। उक्त खाते में नन्दा की मृत्यु हो जाने के कारण नन्दा काशीराम दोला पिता लक्षमण के हिस्से में से नन्दा के खाते पर विरासत का नामान्तरण संख्या 139 का अंकन हुआ तथा नन्दा के बजाय भागुति बेवा नन्दा, नानालाल मदनलाल मोडीबाई पिता नन्दा का अंकन हुआ है उक्त नामान्तरण पटवारी हल्का की लापरवाही से गलत खुल गया है क्योकि लक्षमण के पुत्र नन्दा को भागीरथ के यहा गोद रखा जा चुका था तथा इसी खाते में नन्दा पिता भागीरथ के नाम अंकन चल रहा है इसलिए नन्दा पिता भागीरथ का विसारत का इन्तकाल खोला जाना चाहिए था इसके बजाया नन्दा पिता भागीरथ का नाम नन्दा के गोद चले जाने के कारण लक्ष्मण की विरासत से विलोपित (डिलिट) होना चाहिए था जो नही हुआ एवं यह गलती अब तक चल रही है।

वर्तमान खाते में भी नन्दा पिता भागीरथ का नाम वदस्तुर चला आ रहा है जिसका विरासत का नामान्तरण नही खोला गया जबकि नन्दा का लक्ष्मण के हिस्से में भी विरासत का नामान्तरण खुल जाने नन्दा का हिस्सा बिलावजह इसी खाते में बढा हुआ है। इस गलती के कारण वर्तमान में इस खाते में नन्दा एवं उसके उत्तराधिकारीयों का हिस्सा सम्पूर्ण आराजीयात में 1/2 (1/3 प्लस 1/6 हिस्सा) जो रेकार्ड ममें गलती की वजह से हुआ है इसलिए इन्तकाल संख्या 139 को निरस्त घोषित किये जाने एवं नन्दा के उत्तराधिकारीयों को भागीरथ की विरासत में हिस्सा दिये जाने हेतु घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अनुतोष चाहते है कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादपत्र अंकित आराजीयात 73, 75, 76, 122, 251, 504, 587 कुल किता 7 कुल रकबा 3.5770 हे0 भूमि में वादी दौलतराम उर्फ गोदपुत्र खेरिंग का 1/3 हिस्सा तथा मांगीबाई प्रतिवादी संख्या 10 एवं नन्दा के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 11से 14 का 1/3 हिस्सा एवं काशीराम पिता लक्ष्मण के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 9 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जावें साथ ही उक्त भूमि में से वादी दौलतराम गोद पुत्र खेरिंग (प्राकृतिक पिता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

क्षमण) का हिस्सा 1/3 का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी या कब्जे क आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का हिस उक्त खाते से अलग किये जाने की आपत्ति भी फरमाई जावे।

वादी को वाद वर्णित आराजीयात 73, 75, 76, 122, 251, 504, 587, में विभाजन में वादी को जो भूमि प्राप्त होगी उस पर प्रतिवादीगण भविष्य में किसी प्रकार की वादी के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी/ वाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 कि ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री आई.एम. अजमेरी द्वारा प्रस्तुत कर जवावदावा पेश किया गया । तत्पश्चात पत्रावली में तनकीयात कायम किये गये। वादी की साक्ष्य में शपथपत्र पेश किये जाकर पत्रावली वारते जिरह हेतु नियत थी। इस दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीविल प्रकिया संहिता का पेश कर निवेदन इस प्रकार से किया कि उक्त प्रकरण में वादी द्वारा खेरिंग जी की पगडी वादी के बंधने के कारण अपने आप को अज्ञानतावश खेरिंग जी का गौद पुत्र बता वाद प्रस्तुत किया है जबकि कानूनन पगडी बंधाने मात्र से कोई गोद पुत्र नही हो जाता है। वाद वर्णित आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक होकर वादी का हिस्सा निहित एवं दर्ज रेकार्ड है जिससे वादी उक्त प्रारूपिक त्रुटि के आधार पर प्रस्तुत वाद को आगे नही लडना चाहता है एवं अपनी सही परिस्थितिनुसार नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। वादी इसी कारण इसी प्रक्रम पर इस वाद को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रा करना चाहता है, इस हेतु वादी कि ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रतिवादी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस करने का निवेदन किया । पत्रावली में उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस हुई। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 को स्वीकार फरमाते हुये वादपत्र को जरिये विड्रा खारिज किया जावें। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादी द्वारा वादपत्र न्यायालय में सन् 2013 में संस्थित किया गया जो 2013 से अब 2019 यानि 6 वर्ष के बाद अब इस वाद को जरिये विड्रा खारिज करा, नया वाद लाना चाहते है जिसमें हमारा एवं न्यायालय का समय खराब हुआ है जिसका हर्जाना दिलाया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस ध्यानपुर्वक सुनी व पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

<u>आदेश 23 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार :</u>

"वाद संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी संभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा "

जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि –

वाद किसी प्ररुपिक त्रुटी के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

वाद कि विषय वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार है, वहा वह ऐसे निबन्धनों पर जिन्हे वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय–वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतन्त्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।"

अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीविल प्रक्रियां संहिता का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र को जरिये विड्रा खारिज किया जाता है तथा न्यायालय का समय जाया करने एवं प्रतिवादीगण को समय–समय पर न्यायालय में उपस्थित आने के लिए समय व्ययतित हुआ है, इसलिए वादी, प्रतिवादीगण को 1000 रू. दण्ड के रूप में अदा करे। साथ ही वादी अधिवक्ता को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटीपुर्ण वाद न्यायालय में दर्ज ना करायें।

आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

19/9/19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ
जिला चित्तौड़गढ़ राज.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)